न्यायालय न्याय. निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55/2017 प्रा.पत्र/2017	28.08.2017	30.04.2026
जीसीएमएस नं0–74/2017		

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री भीमराज जैन एफ.बी.ओ.. मैसर्स श्री मेडिकल स्टोर राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक निवासी जैन मन्दिर के पास विवेकानन्द कॉलोनी, देवली जिला टोंक पिनकोड–304804
2–मैसर्स श्री मेडिकल स्टोर राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक राज.।
3–श्री जयकेश भदोरिया प्रोपरायटर मैसर्स राज एजेन्सीज 155–156 चंवरिया कॉम्पलेक्स पंचायत समिति के पास निवाई जिला टोंक राज. निवासी 6 शिवाजी पार्क के पास निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021
4–मैसर्स राज एजेन्सीज 155–156 चंवरिया कॉम्पलेक्स पंचायत समिति के पास निवाई जिला टोंक राज.।
5–श्री अजय बंसल पुत्र श्री रामस्वरूप बंसल प्रोपरायटर मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड 521, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्श नगर जयपुर राज.। पिनकोड–302001
6–मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड 521, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्श नगर जयपुर राज.।
7–श्री राजीव कुमार नॉमिनी मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड एमजे–6/एमजे–ए, जेआर कॉम्पलेक्स गेट नं. 1, ग्राम मंडौली, करावल नगर, उत्तर पूर्व दिल्ली। पिनकोड–110093
8–मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड एमजे–6/एमजे–ए, जेआर कॉम्पलेक्स गेट नं. 1, ग्राम मंडौली, करावल नगर, उत्तर पूर्व दिल्ली।
9–श्री दीपांकर कर्माकर पुत्र श्री काली पाडा कर्माकर नॉमिनी मैसर्स जियोन लाईफसाईन्सेज लिमिटेड नेचुरल डिवीजन ग्राम कुन्जा तह. पावंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पिनकोड–173025। निवासी प्लॉट नं. 4 बी/सी1, गीत अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं. 2, एन–1, सीआईडीसीओ, औरंगाबाद।
10–मैसर्स जियोन लाईफसाईन्सेज लिमिटेड नेचुरल डिवीजन ग्राम कुन्जा तह. पावंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पिनकोड–173025।

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 9 ता 10 श्री पवित्र मिश्रा, श्री मनीष कुमार गुर्जर एड.।

:–निर्णय–: दिनांक 30.4.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.09.2016 को समय 02:08 पी.एम. पर मैसर्स श्री मेडिकल स्टोर राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री भीमराज जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री भीमराज जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री भीमराज जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री मुकेश कुमार जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **प्रोपरायटरी फूड डाईटरी सप्लीमेंट जी.आर.डी. न्यूट्रिवा चॉकलेट फ्लेवर (Proprietary Food Dietary Supplement G.R.D. Nurtiva Chocolate Flavour)** जिसके बैच नं. आई. आर.–1572 व पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2015 थी, के 200–200 ग्राम के 7 नग सील्ड पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मुकेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **प्रोपरायटरी फूड डाईटरी सप्लीमेंट जी.आर.डी. न्यूट्रिवा चॉकलेट फ्लेवर (Proprietary Food Dietary Supplement G.R.D. Nurtiva Chocolate Flavour)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 200–200 ग्राम के 4 नग सील्ड पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **प्रोपरायटरी फूड डाईटरी सप्लीमेंट जी.आर.डी. न्यूट्रिवा चॉकलेट फ्लेवर (Proprietary Food Dietary Supplement G.R.D. Nurtiva Chocolate Flavour)** 200–200 ग्राम के 4 नग सील्ड पैक में से एक–एक पैकेट को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये तथा चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1444 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1444 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को कब्जे में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

मौके पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री भीमराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री मेडिकल स्टोर राजकीय अस्पताल के सामने देवली जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स राज एजेन्सीज 155–156 चंवरिया कॉम्पलेक्स पंचायत समिति के पास निवाई जिला टोंक का खरीद बिल पेश किया। मैसर्स राज एजेन्सीज ने बतौर वारन्टी मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड 521, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्श नगर जयपुर राज. का एवं मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड 521, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्श नगर जयपुर ने मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड एमजे–6/एमजे–ए, जेआर कॉम्पलेक्स गेट नं. 1, ग्राम मंडौली, करावल नगर, उत्तर पूर्व दिल्ली का खरीद बिल प्रेषित किया। आवेदक द्वारा मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड दिल्ली से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने निर्माता फर्म मैसर्स जियोन लाईफसाईन्सेज लिमिटेड नेचुरल डिवीजन ग्राम कुन्जा तह. पावंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/16/5153 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/2879/एक्ट/2016/556 दिनांक 19.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **प्रोपरायटरी फूड डाईटरी सप्लीमेंट जी.आर.डी. न्यूट्रिवा चॉकलेट फ्लेवर (Proprietary Food Dietary Supplement G.R.D. Nurtiva Chocolate Flavour)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 9 व 10 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं. 9 दीपांकर कर्माकर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर अप्रार्थी सं. 9 की मृत्यु दिनांक 01.04.2018 को होना बताया तथा अप्रार्थी सं. 9 व 10 के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **प्रोपरायटरी**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फूड डाईटरी सप्लीमेंट जी.आर.डी. न्यूट्रिवा चॉकलेट फ्लेवर (Proprietary Food Dietary Supplement G.R.D. Nurtiva Chocolate Flavour) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खांद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, चूंकि अप्रार्थी संख्या 9 की मृत्यु हो चुकी है इसलिए अप्रार्थी सं0 9 के विरूद्ध इसी स्तर पर कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित हैं परन्तु अप्रार्थी सं0 10 भी प्रकरण में पृथक पक्षकार है जिसे भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड डाईटरी सप्लीमेंट जी.आर.डी. न्यूट्रिवा चॉकलेट फ्लेवर (Proprietary Food Dietary Supplement G.R.D. Nurtiva Chocolate Flavour)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 8 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1ता 8 को दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 9 की मृत्यु हो चुकी है तथा विधि का यह स्थापित सिद्धान्त हैं कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही विचाराधीन नहीं रह सकती है अतः अप्रार्थी सं. 9 दीपांकर कर्माकर के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा निर्माता फर्म अप्रार्थी सं. 10 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से निर्माता फर्म अप्रार्थी सं. 10 पर कुल शास्ति रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30\5\26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0